न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—25/2018

1. सीमा खण्डेलवाल पत्नी मनोज कुमार गुप्ता निवासी ए—1, मुखर्जी कॉलोनी, टैगोर पब्लिक स्कूल के पास, शास्त्रीनगर, जयपुर।
2. अनिता पत्नी श्री अशोक कुमार गुप्ता, निवासी ई—58, शास्त्रीनगर जयपुर।
3. कविता पत्नी श्री अनिल कुमार सेठी, निवासी 9, अशोक विहार जेल का चौराहा, अलवर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. सालासर कॉम्पलेक्सेज एण्ड बिल्डकोम प्राईवेट लि. जयपुर जरिये निदेशक तनवीर खान पुत्र श्री एम.आई.खान, जाति मुसलमान, निवासी जयपुर।

——मुख्य रेस्पोडेन्ट

2. बंशीलाल पुत्र छीतर मल, जाति जाट निवासी रामपुरा वाडियॉ गुढाबेरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
3. रामकरण पुत्र भूराराम, जाति जाट, निवासी रामपुरा वाडियॉ गुढाबेरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
4. गोपाल लाल पुत्र हनुमान लाल कुमावत निवासी आसलपुर तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
5. कर्नल रणबीर सिंह यादव पुत्र राममेहर यादव निवासी श्रीराम वाटिका निवारू रोड़, झोटवाडा, जयपुर।
6. आशिष गोयल पुत्र हनुमान प्रसाद गोयल निवासी प्लाट नम्बर 104, समराय हाउस, दीनानाथ जी गली, चॉदपोल बाजार, जयपुर।
7. तहसीलदार फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 07.02.18

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश दिनांक 02.01.2018 (प्रकरण संख्या 241/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 07.06.2017 को सीमाज्ञान करवा लिया उक्त सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करने का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उपरोकत भूमि बाबत सीमाज्ञान तहसीलदार फुलेरा द्वारा दिनांक 23.0.2017 को भी किया गया एक ही जमीन बाबत दो—दो सीमाज्ञान रिपोर्ट आने से स्पष्ट होता है कि सीमा पर विवाद है इस तथ्य को दरकिनार कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह खिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 12.01.2018 को जब अपीलान्ट अपनी भूमि को संभालने गये

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

था तब मुख्य रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का डायरेक्टर व तहसील के कर्मचारी मौके पर मौजूद मिले और अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर रहे है, इस पर अपीलान्ट द्वारा उन्हे अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जेशुदा भूमि पर पत्थरगढी करने से मना किया तो उन लोगों ने अपीलान्ट्स को बताया कि उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक ने पत्थरगढी करने के आदेश दिये है जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 17.01.2018 को अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया और नकल दिनांक 17.01. 2018 को प्राप्त कर अपील जानकारी से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि, विधान, संचिका पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य सबूतों के सर्वथा प्रतिकूल होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ पत्थरगढी करवाने हेतु चारो सीमाओं के खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनी आवश्यक है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर नही कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.01.2018 को अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान पहले हो चुका है एवं सीमाज्ञान के निशान मौके पर बने हुए है तथा राजस्व कर्मचारियों जिनमें पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार आदि की मौजूदगी में पत्थरगढी की कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होने कथन किया है कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा पत्थरगढी की कार्यवाही किये जाते समय प्रार्थीया संख्या 1 सीमा के पति मनोज मौके पर मौजूद था तथा शेष प्रार्थीगण संख्या 2 एवं 2 के पति भी मौके पर मौजूद थे जिनके सामने ही पत्थरगढी की कार्यवाही की गई, पत्थरगढी के समय जिन–जिन व्यक्तियों के साईन हुऐ है उनसे इस बात की ताईद की जा सकती है कि प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिकृत व्यक्ति मौके पर मौजूद थे। उन्होने आगे कथन किया है कि पत्थरगढी किये जाने से किसी भी पडौसी खातेदार को कोई नुकसान नही होता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ही खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी की जा चुकी है तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि के सीमाज्ञान का कोई विवाद भी नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट अपनी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकारी है तथा यदि अपीलान्ट्स भी अपनी आराजी पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाते है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तत्पश्चात् अधिवक्ता उभयपक्ष ने दौराने बहस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने एवं वादग्रस्त की पुनः सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु अपनी–अपनी सहमति दी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट पडौसी खातेदार है तथा अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया है तथा अधिवक्ता उभयपक्ष ने वादग्रस्त आराजी की पुनः सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष अपनी सहमति दी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता उभयपक्ष की सहमति पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.01.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उभयपक्ष की आराजी की पुनः सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही 15 दिवस में आवश्यक रूप से कराई जावे तथा पुनः पत्थरगढी की कार्यवाही तक विवादित सीमाओं की आराजी के मौक व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखी जाने के आदेश भी दिये जाते है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।